कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

प्रस्ताव क्रं. 12

दिनांक 30.07.2025

विषय :– नगर पालिक निगम, भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों (योजनाओं) में रिक्त आवासीय/व्यवसायिक/आवास सह व्यवसायिक भूखण्डों के अंतरण के संबंध में।

---00---

नगर पालिक निगम, भिलाई के विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय/व्यवसायिक/आवास सह व्यवसायिक पांचवे चरण में 66 भूखण्डों के अंतरण हेतु निविदा (ई–ऑक्सन) https:eproc.cgstate.gov.in में क्रमांक/दो/सं.वि./499/2024/134 भिलाई दिनांक 14.08.2024 को आमंत्रित की गई थी। जिसके सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र क्रानिकल एवं दैनिक भास्कर दिनांक 17.08.2024 को किया गया था जिसमें 16 भूखण्डों के आकार में त्रुटि एवं कुछ भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निरस्त की गई थी। शेष 50 भूखण्डों के अंतरण की कार्यवाही की गई तथा ई–ऑक्सन की प्रक्रिया दिनांक 14.08.2024 से 24.10.2024 तक रखा गया है। ई–ऑक्सन/प्रस्थापना क्रमांक–157407, 157412, 157414, 157416, 157417, 157418, 157419, 157420, 157422, 157423, 157424, 157425, 157426 कुल 13 भूखण्डों में किसी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया एवं ई–ऑक्सन क्रमांक–157413 एवं 157415 कुल 02 भूखण्डों में एकल निविदा प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 15 ऑक्सन क्रमांक के समस्त निविदाकारों द्वारा बोली नहीं लगाई जा सकी। कुल 35 ऑक्सन में आमंत्रित निविदा में उच्चतम बोली प्राप्त हुई थी।

जिसे महापौर परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–4–14/सात–1/2024 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–4–07/सात–1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 को निरस्त किये जाने के फलस्वरुप विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित किये बिना छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–8–18/2010/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.08.2020 के अधीन कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जारी उपरोक्त निविदा दिनांक 14.08.2024 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने तथा विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने का सर्व–सम्मति से संकल्प पारित किया गया।

अतः महापौर परिषद द्वारा पारित संकल्प के आधार पर ऑफसेट मूल्य निर्धारित करते हुए कलेक्टर गाईड लाईन में 20 प्रतिशत वृद्धि कर पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्पः– महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त कलेक्टर गाईड लाइन मूल्य में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त मूल्य अनुसार ऑफसेट मूल्य निर्धारित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने का सर्व–सम्मति से संकल्प पारित किया गया।

सचिव नगर पालिक निगम भिलाई	महापौर नगर पालिक निगम भिलाई

(186)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/चार/रा0वि0/1266/2025

-:: आदेश ::-

भिलाई, दिनांक 28/07/2025

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्र. एफ 8–18/2010/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.08.2020 के माध्यम से नगरपालिक निगम, भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित रिक्त 1248 आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों का अंतरण छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4–07/सात–1/2019 नवा रायपुर दिनांक 11.09.2019 एवं निर्देश क्रमांक एफ 4–07/सात–1/2019 नवा रायपुर दिनांक 26.10.2019 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 में निहित प्रावधान के अनुसार किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्र. एफ 4–07/सात–1/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11.09.2019 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू–भाटक के निर्धारण/वसूली प्रक्रिया के संबंध में पत्र के कण्डिका 5.3 के अनुसार किसी भी शासकीय भूखण्ड के आबंटन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति/संस्था से आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाईड लाईन की दर पर निर्धारित की गई प्रब्याजि को ऑफसेट मूल्य मानते हुए नीलामी के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को आबंटित किये जाने के निर्देश हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्र. एफ 4–07/सात–1/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.10.2019 के कण्डिका क्र. 2.3 में प्रावधान था कि **"यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि के आबंटन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय उस व्यक्ति से बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजि के अतिरिक्त बाजार मूल्य का 02 प्रतिशत के समतुल्य की राशि देय होगा। इस प्रकार उस व्यक्ति से प्रचलित गाईड लाईन दर पर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत राशि देय होगी।"**

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. /एफ–4–14/सात–1/2024 नवा रायपुर, दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन एवं व्यवस्थापन/फ्री होल्ड के संबंध में जारी परिपत्र क्र. /एफ–4–07/सात–1/2019 नवा रायपुर, दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 को निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्र. एफ–4–14/सात–1/2024 नवा रायपुर, दिनांक 23.07.2024 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन एवं व्यवस्थापन/फ्री होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त किये जाने के पश्चात् विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित किये बिना नगरपालिक निगम, भिलाई की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय/व्यवसायिक/आवास सह व्यवसायिक 66 भूखण्डों के अंतरण हेतु निविदा (ई–ऑक्सन) https:eproc.cgstate.gov.in में क्रमांक/दो/सं.वि./499/2024/134 भिलाई दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से आमंत्रित की गई थी। जिसमें से 16 भूखण्डों के आकार में त्रुटि एवं कुछ भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी निविदा निरस्त की गई थी, शेष 50 भूखण्डों के अंतरण की कार्यवाही की गई तथा ई–ऑक्सन की प्रक्रिया दिनांक 14.08.2024 से 24.10.2024 तक संपन्न की गई है।

187

नगरपालिक निगम, भिलाई की महापौर परिषद की बैठक दिनांक 18.07.2025 में उपरोक्त विषय पर चर्चा उपरान्त महापौर परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–4–14/सात–1/2024 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–4–07/सात–1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 को निरस्त किये जाने के फलस्वरुप विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित किये बिना छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–8–18/2010/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.08.2020 के अधीन कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जारी उपरोक्त निविदा दिनांक 14.08.2024 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने तथा विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने का सर्व–सम्मति से संकल्प पारित किया गया है।

निविदा की नियम/शर्तों के कण्डिका क्र. 26 में दर्शित प्रावधान अनुसार अधोहस्ताक्षरी को सम्पूर्ण निविदा के अनुसार प्रस्ताव को या निविदा के किसी अंश को स्वीकृत करने या न करने एवं संशोधित करने का अधिकार है। अतः नगरपालिक निगम, भिलाई की महापौर परिषद की बैठक दिनांक 18.07.2025 में पारित संकल्प क्र. 02 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्र. एफ–4–14/सात–1/2024 नवा रायपुर, दिनांक 23.07.2024 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन एवं व्यवस्थापन/फ्री होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त किये जाने के पश्चात् विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित किये बिना नगरपालिक निगम, भिलाई की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय/व्यवसायिक/आवास सह व्यवसायिक 66 भूखण्डों के अंतरण हेतु जारी निविदा (ई–ऑक्सन) https:eproc.cgstate.gov.in में क्रमांक/दो/सं.वि./499/2024/134 भिलाई दिनांक 14.08.2024 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त की जाती है तथा विधिवत् ऑफसेट मूल्य निर्धारित करते हुए नियमानुसार पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही हेतु उपायुक्त, नगरपालिक निगम, भिलाई को आदेशित किया जाता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./चार/रा०वि०/ /1266 /2025 भिलाई, दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला–दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ। उपरोक्त निविदा (ऑक्सन) अंतर्गत सभी बोलीदाताओं की धरोहर राशि नियमानुसार वापसी की कार्यवाही करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई